रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 1983/वैशाख 29, 1905
No. 188] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 1983/VAISAKHA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 मई, 1983

सं० 149/83-सीमाशुल्क

सा०का०नि० 430 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की उन प्रत्येक अधिसूचनाओं को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति संशोधित या और संशोधित किया जाएगा ।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	34/82 सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 1 के सामने, स्तंभ (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थानपर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:— "निम्नलिखित से भिन्न सभी माल, अर्थात्:— (क) कलई रहित इस्पात की लेपित चादरें । (ख) लोहा या इस्पात की गलवनी कृत चादरें, कुंडली में या अन्यथा ।"
2.	40/83 सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा०सं० टी० एस०/48/83-टी० आर० यू०]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th May, 1983

No. 149/83—Customs

G.S.R. 430(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of

4. शारीरिक योग्यता और चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन .--आयोग के अधीन सभी पदों पर भर्ती, सामान्यतया ऐसे मानकों के अनुसार, जो सरकार के अधीन तत्समान प्रस्थिति के पदों के लिए अधिकथित किए जाएं, स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए और सम्बद्ध व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् की जाएगी, तथापि पश्चात्वर्ती शर्तें उन मामलों में शिथिल की जा सकेंगी जिनमें आयोग ऐसा शिथिलीकरण आवश्यक समझता है ।

5. भविष्य निधि .--आयोग के कर्मचारी अपने विकल्प पर, साधारण भविष्य निधि और पेंशन तथा उपदान स्कीम या अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम के पात्र होंगे । आयोग के वे कर्मचारी जो अभिदायी भविष्य निधि के लिए अपना विकल्प देते हैं समय-समय पर यथासंशोधित विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग अभिदायी भविष्य निधि नियम, 1956 द्वारा शासित होंगे । सरकार कर्मचारियों को लागू पेंशन और उपदान तथा साधारण भविष्य निधि के लिए नियम, आयोग के कर्मचारियों को यथाआशयक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

6. निवास स्थान का आवंटन .--आयोग के कर्मचारी नई दिल्ली में, साधारण पूल से सरकारी निवास स्थान के आवंटन के लिए उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर पात्र होंगे जो सरकारी कर्मचारियों को लागू होते है ।

7. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में सम्मिलित किया जाना .--आयोग के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम सुविधाओं में, ऐसे निबन्धनों पर सम्मिलित किए जाएंगे जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकथित किए जाएं ।

8. सेवानिवृत्ति .--समूह ध के कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होगी और समूह ध के कर्मचारियों के लिए 60 वर्ष होगी किन्तु यह उन शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जो सरकार द्वारा किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के संबंध में उसके द्वारा 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात्, समय समय पर अधिकथित की जाए :

परन्तु यह कि विशेष मामलों में आयोग किसी कर्मचारी को, उसके द्वारा 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् सेवा में, एक बार में एक वर्ष के लिए और कुल दो वर्ष के लिए अर्थात जब तक ऐसा कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है, बने रहने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

परन्तु यह और भी कि कर्मचारी उस मास की अंतिम तारीख के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा जिसमें वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेता है ।

परन्तु यह और भी कि ऐसा कर्मचारी जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, यथास्थिति 58 या 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर, उस मास के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन को सेवानिवृत्त होगा :

परन्तु यह और भी कि उस कर्मचारी के मामले में जिसमें आयोग ने तत्कालीन उपबंधों के अधीन सेवानिवृत्ति की आयु पहले से ही 60 वर्ष नियत कर दी है, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी ।

9. सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें .--आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26(1)(ग) के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं ।

[सं० एफ० 10-30/80 डेस्क (यू)]

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(Department of Education)

New Delhi, the 19th May, 1983

NOTIFICATIONS

G.S.R. 433 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 25 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Terms and Conditions of Service of Employees) Rules, 1958, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the terms and conditions of service of employees of the University Grants Commission, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the University Grants Commission (Terms and Conditions of Service of Employees) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires—(i) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956).

(ii) "Government" means the Central Government.

3. Appointment of Staff.—The Commission may appoint such number of officers and other employees as may be determined by it (subject to the general financial limits in the budget accepted by the Government in the Ministry of Education):

Provided that no post, the maximum remuneration of which exceeds Rs. 2250/- per mensem shall be created by the Commission without the prior sanction of the Government :

Provided further that appointments to temporary and short-term posts sanctioned by the Government under the aforesaid proviso shall be made by the Commission for a period of six months or for the duration for which the post is sanctioned, whichever is less.

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 1983/वैशाख 29, 1905

No. 188] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 1983/VAISAKHA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 मई, 1983

सं० 149/83-सीमाशुल्क

सा०का०नि० 430 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की उन प्रत्येक अधिसूचनाओं को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति संशोधित या और संशोधित किया जाएगा ।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	34/82 सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 1 के सामने, स्तंभ (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थानपर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:— "निम्नलिखित से भिन्न सभी माल, अर्थात्:— (क) कलई रहित इस्पात की लेपित चादरें । (ख) लोहा या इस्पात की गलवनी कृत चादरें, कुंडली में या अन्यथा ।"
2.	40/83 सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा०सं० टी० एस०/48/83-टी० आर० यू०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th May, 1983

No. 149/83—Customs

G.S.R. 430(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of

1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	34/82—Customs, dated the 28th February, 1982.	In the Table annexed to the said notification, against Sl. No. 1, in column (3 for the existing entry, th following entry shall be substituted, namely:— "All goods other than the following, namely:— (a) tin-free coated steel sheets, and (b) galvanised sheets of iron or steel, in coils or otherwise.";
2.	40/83—Customs, dated the 1st March, 1983	In the Table annexed to the said notification, Sl. No. 10 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. TS/48/83—TRU]

सं० 150/83-सीमाशुल्क

सा०का०नि० 431(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 73.12 के अन्तर्गत आने वाले लोहे या इस्पात की गैलवनी कृत हुप और पट्टियों, कुण्डली में या अन्यथा से भिन्न सभी माल को जब उसका भारत में आयात किया जाए उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक है।

[फा०सं०टी० एस०/48/83-टी० आर० यू०]

No. 150/83—Customs

G.S.R. 431(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods other than galvanised hoops and strips, of iron or steel, in coils or otherwise, falling under Heading No 73 12 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 30 per cent. ad valorem.

[F. No. TS/48/83—TRU]

सं० 151/83-सीमाशुल्क

सा०का०नि० 432(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 136/83-सीमाशुल्क, तारीख 13 मई, 1983 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
"5.	लोहे या इस्पात की गैल्वनीकृत पट्टियां, कुण्डली में या अन्यथा	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का 25 प्रतिशत।
6.	लोहे या इस्पात की गैल्वनीकृत शीटें, कुण्डली में या अन्यथा	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का 25 प्रतिशत"।

[फा०सं०टी०एस०/48/83-टी०आर०यू०]

जे० श्रीधरन, अवर सचिव

No. 151/83—Customs

G.S.R. 432 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 45 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 136/83—Customs, dated the 13th May, 1983, namely:—

In the Table annexed to the said notification, after Sl. No. 4 and the entries relating thereto, the following shall be namely:—

(1)	(2)	(3)
"5.	Galvanised hoops and strips, of iron or steel, in coils or otherwise.	25 per cent. of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
6.	Galvanised sheets of iron or steel, in coils or otherwise.	25 per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962)."

[F. No. TS/48/83—TRU]

J. SRIDHARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983